

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा**

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)( कैडर रिव्यू) अलेसे ।। 104

दिनांक :- 04/7/25

आदेश संख्या : 38/2025-26

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.परि./RSBTDA/2015.(2) दिनांक 08/06/2015 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की एक्स कैडर स्ट्रेन्थ में राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण(एक्स काडर) की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

| क्र.स. | कार्यालय का नाम                                                 | संशोधन पूर्व पद |            |           | संशोधन पश्चात् पद |            |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|
|        |                                                                 | स.ले.अ.-I       | स.ले.अ.-II | क.लेखाकार | स.ले.अ.-I         | स.ले.अ.-II | क.लेखाकार |
| 1      | सचिव, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण जयपुर (8002146) | 0               | 0          | 0         | 2                 | 0          | 0         |

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

| विवरण                  | स.ले.अ.-I | स.ले.अ.-II | क.लेखाकार | योग   |
|------------------------|-----------|------------|-----------|-------|
| वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ | 2611      | 3867       | 5861      | 12339 |
| नवीन कैडर स्ट्रेन्थ    | 2613      | 3867       | 5861      | 12341 |

(बृजेश किशोर शर्मा)  
निदेशक एवं पदेन संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ2 (ग)( कैडर रिव्यू) अलेसे ।। 104

दिनांक :- 1/7/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- संबंधित विभागाध्यक्ष

3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. निजी सचिव, निदेशक ।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे I / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु



(के.जी.गुप्ता)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)